न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 82/2018

1. कोयली पुत्री श्री दल्ला जाति जाट निवासी ग्राम लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादीया

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्री दल्ला
2. सांवरा पुत्र श्री दल्ला
3. चतुर्भुज पुत्र श्री बालू
   तमाम जाति जाट निवासीगण ग्राम लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. भिनाय जिला अजमेर
5. श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी महोदय, उपपंजीयन कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

6. हंसा पुत्री श्री दल्ला जाट निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादियागण ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम लामगरा पटवार क्षेत्र लामगरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 43 में दर्ज खसरा नं. 41 रकबा 0.06, 44 रकबा 0.16, 150 रकबा 0.31, 168 रकबा 0.37, 248 रकबा 0.25, 254 रकबा 0.05, 499 रकबा 0.32, 575 रकबा 0.04, 593 रकबा 0.34, 800 रकबा 1.90, 803 रकबा 0.62, 804 रकबा 0.94, 806 रकबा 1.07 किता 13 रकबा 6.43 हैं0 वादीयागण एवं प्रतिवादीयागण सं. 1 लगायत 3 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 की पुश्तैनी आराजीयात हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में वादिया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा हैं तथसा इसमें अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा, अधिकार नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादिया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 उनके हिस्सा अनुसार संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे तथा काश्त कर फसल प्राप्त करते चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजी वादिया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 की पैतृक सम्पति हैं, जो पूर्व में दल्ला पुत्र अर्जुन जो कि वादिया के पिता हैं, के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज कर दी गई जो कि गलत हैं। चूंकि वाद वर्णित आराजी वादिया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 की पुश्तैनी आराजी हैं अतः आराजी के प्रत्येक इंच पर वादिया एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 का हक हिस्सा एवं अधिकार हैं। अतः उक्त वर्णित आराजीयात में वादिया एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं. 6 को बतौर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय अजमेर

Scanned with CamScanner

हक हिस्सा भूमि पृथक–पृथक खाता
सहखातेदार घोषित किया जाकर समस्त खातेदारान के मध्य हक हिस्सा भूमि पृथक–पृथक खाता कायम किए जाने हेतु वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादिया के हक हिस्सा भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें एवं ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादी सं. ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किए जाने बाबत कथन करते हुए न्यायालय आदेशिका पर वाद पत्र के संबंध में सहमति अंकित की। प्रतिवादी सं. 2 व 3 नोटिस तामिली बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। पैरोकार सरकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार न होने के कारण जवाब पत्र आवश्क नहीं हैं। प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 ने वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार ही लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में तनकियात कायम किया जाना आवश्यक नहीं होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की जाकर वादिया के लिखित बयान दर्ज किए जाकर प्रकरण में एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। दौराने बहस वादीया के अधिवक्ता ने प्रदर्श–1 ग्राम लामगरा जमाबंदी संवत् 2070–73, प्रदर्श–2 वर्किंग जमाबंदी, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049–68, प्रदर्श– 4 जमाबंदी संवत् 2020–2023 एवं प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल अनुसार कथन करते हुए वादवर्णित आराजीयात उभयपक्षकारान की पुश्तैनी आराजीयात होने संबंधी तथ्य प्रस्तुत कर वादिया का वाद पत्र न्यायोचित एवं स्वीकार योग्य होना ठहराते हुए वादिया एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 को वादवर्णित आराजीयात मे उनके हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। बहस एकतरफा सुनी गई।

–:आदेश:–

बहस अधिवक्ता वादिया पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन करने पर वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की पुष्टि होना पाया जाता हैं। वादिया का वाद आनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम लामगरा पटवार क्षेत्र लामगरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 43 में दर्ज खसरा नं. 41 रकबा 0.06, 44 रकबा 0.16, 150 रकबा 0.31, 168 रकबा 0.37, 248 रकबा 0.25, 254 रकबा 0.05, 499 रकबा 0.32, 575 रकबा 0.04, 593 रकबा 0.34, 800 रकबा 1.90, 803 रकबा 0.62, 804 रकबा 0.94, 806 रकबा 1.07 किता 13 रकबा 6.43 हैं0 भूमि पर वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 डिक्री किया जाकर यथानुसार वादिया एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6 को इन विवादित आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार अमल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तहसीलदार भिनाय ग्राम लामगरा पटवार क्षेत्र लामगरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

2010–73 के खाता सं 43 में दर्ज खसरा नं 41 रकबा 0.06, 44 रकबा 0.16, 150 रकबा 0.31, 168 रकबा 0.37, 248 रकबा 0.25, 254 रकबा 0.05, 499 रकबा 0.32, 575 रकबा 0.04, 593 रकबा 0.34, 800 रकबा 1.90, 803 रकबा 0.62, 804 रकबा 0.94, 806 रकबा 1.07 किता 13 रकबा 6.43 है0 का बहिस्से बराबर से विभाजन के बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादियागण की आराजी में दखलन्दाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

Scanned with CamScanner